

- आदेश -

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरुस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरुस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरुस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

1	2	पूर्व इन्द्राज			स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
		3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खुता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
बनडाडी	122	नरमाडेवी पट्टि नानुराम, जाहि जाह	611	0.01	नरमाडेवी पट्टि नानुराम जाहि जाह	611	0.01
			612	0.07		612	0.07
			613	3.24		613	3.24

क्रमांक :-

428
21.11.21

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिबिर प्रमारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :- 21.11.21

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का

पालना सुनिश्चित करें।

को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार

उप तहसीलदार, मौलासर

शिबिर प्रमारी
शिबिर प्रमारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)
PGKSA-2021, जं.स. मौलासर
दिनांक :-